

फर्द अहकाम

- Court -

(नियम 26)

SDO Khajuwala

शालत

शकुन्ता वर्मा

मुकाम

बनाम

श्रीमती देवी वर्मा

कदमा

38 नं. 20/07

सन

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/10/18	<p>वादीमा शकुन्ता ने जज को अभिप्रायक प्रार्थना पत्र दिया है कि प्रतिवादीमा के साथ वादीमा का साथ अदालत चलाना न समझौता हो चुका है तथा वादीमा अंत वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है, लिहाजा विज्ञा फिलम के आदेश परमाव'।</p> <p>प्रार्थना वादीमा के अभिप्राय पत्र पर किया गया। CPC के आदेश 23 नियम 03 के तहत प्रार्थना पत्र में जूरी किया जाता है तथा दाव को इस स्ट्रेज पर वादीमा के withdrawal application में फिलम अंत हुए, दाव आदेश दिया जाता है मदन गत्र मुनि 14 PB के मुनि: 128/26 की 12.10 बीमा द. इ.क. मुनि पर पूर्व में जज अन्धकार निषेधादेश आज़ात प्रमाव' नहीं है।</p> <p>निर्णय गुणगुण 2 18/10/18</p>	<p>जज</p> <p>देवी वर्मा</p>